राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 11(1)ग्रावि / नरेगा / ग्रेच्यूटी / 2015पार्ट– I I / 63553 / 00597 जयपुर, दिनांक 4 APR 2018

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
समस्त राजस्थान।

विषय :– पेमेन्ट ऑफ ग्रेच्यूटी की राशि के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभिन्न जिलों से संविदा कार्मिकों के ग्रेच्यूटी भुगतान के संबंध में मार्गदर्शन चाहा है। इस संबंध में विभागीय पत्र दिनांक 15.05.2015 में निर्देश प्रदान किये गये थे कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ऐसे संविदा कार्मिक जिन्होने बिना व्यवधान के लगातार 5 वर्ष की संविदा सेवा पूर्ण कर ली है उन्हे पेमेन्ट ऑफ ग्रेच्यूटी एक्ट 1972 की धारा 4(I) के तहत संविदा सेवा समाप्ति पर नियमानुसार ग्रेच्यूटी राशि देय होगी। विभाग के अन्य पत्र दिनांक 06.08.2017 में निर्देश प्रदान किये गये थे कि ग्रेच्यूटी देने के संबंध में विभाग द्वारा दिनांक 15.05.2015 को आदेश जारी किये गये है जबकि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत पूर्व में कार्यरत संविदा कार्मिक जिनका चयन वर्ष 2013 में ही कनिष्ठ लिपिक के पद पर चयन हो गया था उन कार्मिकों पर उक्त आदेश प्रभावी नही है।

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ऐसे संविदा कार्मिक जिन्होने 5 वर्ष की संविदा सेवा बिना व्यवधान के पूर्ण कर ली है तथा दिनांक 15.05.2015 के पश्चात आर.पी.एस.सी. व अन्य विभाग में चयन होने के कारण संविदा सेवा से त्याग पत्र देकर या अन्य कारण से संविदा सेवा से त्याग पत्र दिया है तो ऐसे संविदा कार्मिकों को पेमेंन्ट आफ ग्रेच्यूटी एक्ट 1972 की धारा 4(I) के तहत संविदा सेवा समाप्ति पर नियमानुसार ग्रेच्यूटी राशि देय होगी।

ग्रेच्यूटी राशि का भुगतान महात्मा गांधी नरेगा के प्रशासनिक मद से भुगतान किया जाना है।

भवदीय

अतिरिक्त आयुक्त(प्रथम), ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
2. रक्षित पत्रावली।

परियोजना अधिकारी, ईजीएस

Scanned by CamScanner